FAQ

Q.1. गेहू के सापेक्ष चावल की मात्रा कम है, वितरण कैसे करें ?

Ans. जनपदों द्वारा पूर्व में सूचित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार अनुमानित लाभार्थियों हेतु आवंटन निर्गत हुआ है। अतः वितरण से पूर्व वास्तविक लाभार्थियों का शत–प्रतिशत सत्यापन कर लें। उपलब्ध मात्रा से वास्तविक लाभार्थी को ही उसकी श्रेणी (कैटेगरी) हेतु निर्धारित मात्रा (entitled quantity) खाद्यान्न (गेहूं, चावल दाल) उपलब्ध करायें।

- चावल की निर्धारित मात्रा (entitled quantity) के सापेक्ष गेहूँ की मात्रा का वितरण भी लाभार्थी को निर्धारित मात्रा (entitled quantity) में करना है। यदि गेहूँ/चावल अवशेष बचता है तो उसे अगले माह के लिए सुरक्षित रखना है।
- गर्भवती/धात्रीी माता व 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को विशेष प्राथमिकता देकर वितरण करायें। यदि सत्यापित वास्तविक लाभार्थियों को वितरण के उपरान्त भी चावल की मात्रा कम पड़ती है तो जिन केन्द्रों में लाभार्थियों को चावल कम पड़ रहा है उसका विवरण तुरन्त काल सेन्टर में दर्ज करायें।

Q.2. शहरी परियोजनाओं (Urban Area) में कोटेदार के यहां से खाद्यान्न सीडीपीओं द्वारा उठाया जायेगा, खाद्यान्न की पैकिंग परियोजना स्तर पर की जायेगी या आंगनबाड़ी केन्द्र पर ?

Ans. गेहूँ, चावल कोटेदार से सीधे लोकली मैप्ड निकटतम आंगनबाड़ी द्वारा उठाया जाय तथा सीधे केन्द्र में ले जाकर एक पूर्व मापित डिब्बा या बर्तन से निर्धारित मात्रा (Intiteled quantity) लाभार्थी को लाभार्थी के बैग या बर्तन में दे दी जाय।

Q.3. शहरी परियोजनाओं (Urban Area) में खाद्यान्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में पहुॅचाने के लिए ढुलाई की कोई व्यवस्था (ढुलाई हेतु बजट) नहीं की गयी है, कैसे ढुलाई, पहुॅचाया जाय ?

Ans. शहरी परियोजनाओं (Urban Area) में दोनों योजनाओं (एस.एन.पी. एवं एस.ए.जी.) हेतु दालों के क्रय के लिए तीन माह के लिए सभी जनपदों को बजट आवंटित किया गया है। साथ ही ढुलाई हेतु रू0 0.15 प्रतिदिन प्रति लाभार्थी अर्थात रू0 3.75 प्रति माह प्रति लाभार्थी की अनुमन्यता से भी अवगत कराया गया है। कोटेदार से आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु उक्तानुसार बजट व्यवस्था से ढुलाई पर व्यय किया जाय।

Q.4. जहां पर एक केन्द्र का (कोटेदार को आवंटित आंगनबाड़ी केन्द्र) उसे दो करवाया गया है। कहीं–कहीं तीन आंगनबाड़ी केन्द्र कोटेदार को आवंटित किया जा सकेगा ?

Ans. हॉ, आवश्कयतानुसार किया जा सकता है जिस कोटेदार के पास खाद्यान्न ज्यादा है, वहॉ से अन्य आवश्यकता वाले केन्द्रों को मैप्ड/आवंटित किया जा सकता है।

Q.5. डी0आई0 (दो साल पुरानी के) आधार पर खाद्यान्न भेजा जा रहा है, पूर्व के मुकाबले लाभार्थी में काफी परिवर्तन हो गया है, जिसको नहीं मिलेगा शिकायत करेगा ?

Ans. Refer Q. 1, कृपया प्रश्न–1 का अवलोकन करें।

Q.6. स्वयं सहायता समूहों को नहीं मालूम उसे किस केन्द्र का पोषाहार वितरित किया जायेगा, कितने लाभार्थी के पैकेट बनाना है, समूह को जानकारी नहीं है क्या करें ?

Ans. यह कार्य स्थानीय स्वयं सहायता समूह के साथ समन्वय स्थापित कर विभागीय अधिकारियों (उपायुक्त एस.आर.एल.एम., डीपोओ, सीडीपीओ आदि) को करना था और अब तक हो जाना चाहिए था। डीपीओ व सीडीपीओ स्वयं सहायता समूह से समन्वय स्थापित कर उससे संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र के लाभार्थियों का विवरण इस हेतु उपलब्ध करायें।

Q.7. प्रत्येक कोटेदार को दो–दो आंगनबाड़ी केन्द्र आवंटित किये गये हैं, किन्तु जनपद में कोटेदार की संख्या .....अधिक/कम है, जबकि आंगनबड़ी केन्द्र की संख्या कम/अधिक है, समस्त केन्द्र आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं। क्या/कैसे करें ?

Ans. Refer Q. 4, कृपया प्रश्न–4 का अवलोकन करें, पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार स्थानीय स्तर पर समायोजन/मैपिंग तत्काल कर लें।

Q.8. खाद्यान्न कोटेदार ने अभी तक नहीं उठाया है, डी0एम0 साहब से कहा है, खाद्यान्न न होने पर वितरण नहीं हो सकेगा, प्रयास किया जा रहा है। FPS से AWC **दो की बाध्यता के कारण** अधिकांश AWC छूट जायेगें, इसलिए लोकल लेवल पर मैपिंग कर ली गयी है। किसी को तीन किसी को चार AWC कवर किये गये हैं। 10 को बाई इलेक्शन की काउन्टिंग है। 11, 12 को वितरण हो सकेगा।

Ans.

- खाद्यान्न का उठान सुनिश्चित करायें, यह समस्या नहीं है।
- दो की कोई बाध्यता नहीं है, Refer Q. 4, प्रश्न–4 का अवलोकन करें।
- दीपावली पर्व से पूर्व एक माह का शत–प्रतिशत वितरण कराना है।

Q.9. शहरी क्षेत्र के केन्द्रों के लिए दाल खरीदने हेतु तीन माह का बजट आवंटित किया गया है। टाउन एरिया के केन्द्रों को अगर शहर क्षेत्र में शामिल करते हुए दाल खरीदेगें तो तीन माह का बजट एक माह में खर्च हो रहा है तो क्या तीन माह का बजट एक माह में खर्च किया जा सकता है ?

Ans. यह सुनिश्चित कर लें कि किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो, निर्धारित मानकों के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर योजनान्तर्गत आवंटित बजट का उपयोग किया जा सकता है।